

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक नर्सिंग/नर्स-2(F)/आक्षेप/2019/
सम्बन्धित प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज,
सम्बन्धित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय
सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
राजस्थान।

दिनांक:-

विषय:- एसीपी के आक्षेपों के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा निम्नांकित नर्स-2/महिला स्वास्थ्य दर्शिका के एसीपी रवीकृत करने हेतु प्रकरण प्राप्त हुये है, उनके नाम के सम्मुख अंकित कमियाँ पायी गई हैं निदेशालय के परिपत्र क्रमांक 53 दिनांक 22.02.19 में उल्लेखित शर्तों के अनुसार एसीपी प्रकरण सहायक लेखाधिकारी से जाच उपरान्त चैकलिस्ट के साथ भिजवाने का श्रम करे ताकि कार्रमा को समय पर एसीपी आदेश जारी किये जा सकें-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान	आक्षेप
1	विमला सुहालका, नर्स-2	अधीक्षक, पन्नाधाय राजकीय महिला चिकित्सालय, उदयपुर	कार्रमा की नियुक्ति 11.08.09 को सीधी भर्ती में नर्स-2 के पद पर हुई है अथवा कार्रमा को पे-प्रोटेक्शन का लाभ दिया गया है। सहायक लेखाधिकारी से प्रमाणित कर चैक लिस्ट सहित भिजवायें।
2	विन्दु मोल, नर्स-2	अधीक्षक पन्नाधाय राजकीय महिला चिकित्सालय, उदयपुर	कार्रमा की नियुक्ति 11.08.09 को सीधी भर्ती में नर्स-2 के पद पर हुई है अथवा कार्रमा को पे-प्रोटेक्शन का लाभ दिया गया है। सहायक लेखाधिकारी से प्रमाणित कर कर चैक लिस्ट सहित भिजवायें।
3	जयश्री पी आर., नर्स-2	अधीक्षक, पन्नाधाय राजकीय महिला चिकित्सालय, उदयपुर	कार्रमा की नियुक्ति 11.08.09 को सीधी भर्ती में नर्स-2 के पद पर हुई है अथवा कार्रमा को पे-प्रोटेक्शन का लाभ दिया गया है। सहायक लेखाधिकारी से प्रमाणित कर भिजवायें।
4	पूर्णिमा शर्मा, नर्स-2	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर	कार्रमा की नियुक्ति 11.08.09 को सीधी भर्ती में नर्स-2 के पद पर हुई है अथवा कार्रमा को पे-प्रोटेक्शन का लाभ दिया गया है। सहायक लेखाधिकारी से प्रमाणित कर चैक लिस्ट सहित भिजवायें।



ACP

5	सुरजीत कौर, नर्स-2	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़	कार्मिका प्रथम नियुक्ति 19.03.88 एएनएम के पद पर है नर्स-2 के पद पर 25.03.99 है 18 वर्षीय एसीपी 25.03.18 से स्वीकृत हेतु प्रस्ताव भिजवाया है कार्मिका 392 दिवस अवैतनिक अवकाश पर रही है । तदानुसार कार्मिका को एसीपी तिथी 15.04.16 होती है चूंकि नियमानुसार दिनांक 01.01.06 के पश्चात् 9.18 व 27 वर्षीय एसीपी की गणना प्रथम नियुक्ति तिथी से की जाती है ।
6	परवीन नाज, नर्स-2	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा	कार्मिका प्रथम नियुक्ति 10.09.92 से देय की गणना 18 वर्ष पूर्ण करने पर 10.09.10 होती है जबकि आप द्वारा 18 वर्ष एसीपी 10.09.18 अंकित की है चूंकि नियमानुसार दिनांक 01.01.06 के पश्चात् 9 18 व 27 वर्षीय एसीपी की गणना प्रथम नियुक्ति तिथी से की जाती है ।
7	लक्ष्मी बोडा,	अधीक्षक, उम्मेद अस्पताल, जोधपुर	प्रकरण चैकलिस्ट के माध्यम से एव विगत 7 वर्ष के एसीआर संलग्न कर भिजवाये ।
8	सुमन मीणा, नर्स-2	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर	कार्मिका की विगत सात वर्ष के एसीआर संलग्न कर भिजवाये ।
9	शशिवाला, नर्स-2	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर	कार्मिका के जाच समाप्ति के आदेश की प्रति तथा विलम्ब से प्रस्ताव प्रेषित करने का कारण भिजवाये
10	अनिता वर्मा, नर्स-2	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर	कार्मिका की विगत सात वर्ष के एसीआर प्राप्त होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है ।
11	आशा वर्मा, नर्स-2	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारा	कार्मिका की विगत सात वर्ष के एसीआर प्राप्त होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है ।
12	अनन्ना वर्मा, नर्स-2	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बासवाडा	कार्मिका की विगत सात वर्ष के एसीआर प्राप्त होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है ।
13	गंगा रोट, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर	कार्मिका के एएनएम एव एलएचवी की तिथि 06.04.90 कैसे हो सकती है तथा प्रकरण को प्रमाणित कर एवं चैकलिस्ट/एसीपी प्रपत्र संलग्न करे ।
14	मोहरा मीना, नर्स-2	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिकराय, दौसा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा के माध्यम से एवं कार्मिका की विगत सात वर्ष के एसीआर प्राप्त होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है ।
15	मजू राठौड, नर्स-2	अधीक्षक, सर पदमपत् मातृ एव शिशु स्वास्थ्य संस्थान, जयपुर	प्रसाविका के पद पर प्रथमनियुक्ति 06.05.98 9 वर्ष 06.05.08 नर्स-2 के पद पर कार्यग्रहण तिथी 11.08.09 है । कार्मिका के 9 वर्षीय आदेश क्रमांक 2457-61 दिनांक 07.05.10 के द्वारा एसीपी एक वर्ष पश्चात दे होगा ।

16	विमला रानी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर	एसीपी के प्रस्ताव पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, के हस्ताक्षर नहीं है।
----	------------	--	--


संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर

क्रमांक नर्सिंग/नर्स-2(F)/आक्षेप/2019/ 981

दिनांक:- 15/7/19

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
- 2- प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।


संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर